

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

F.No.F8(24)/DOC/GEN/98/I/6189/2013

Dated 24.04.13

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या F9(2)(59)/Karnik/Ka-3/97/Pt-1 दिनांक: July 23, 2001 की अनुपालना में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिये निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1	श्रीमती दीपशिखा सक्सेना, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (डी.डी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	अध्यक्ष
2	सुश्री सोनिया चतुर्वेदी, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (डी.डी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
3	श्री कैलाश चन्द शर्मा, प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
4	श्री राजेश असावा, प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
5	डा.रश्मि चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य, कानोडिया कालेज, जयपुर	विशिष्ट सदस्य

यह समिति विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/क्षतिपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(संजय मलहोत्रा)

सचिव एवं आयुक्त


सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

प्रतिलिपी सूचनार्थः

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

- 4 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5 समस्त प्रमुख शासन सचिव/ समस्त शासन सचिव/ समस्त विभागध्यक्ष।
- 6 प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), ए.सी.पी (डी.डी), सू.प्रौ.विभाग को वेबसाइट पर डालने हेतु।
- 7 श्री संजय ज. कर्णिक, कार्यालयध्यक्ष, सू.प्रौ.विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
- 8 समस्त संबंधित।


अतिरिक्त निदेशक II
एवं पदेन उप शासन सचिव
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग